


आदेश संख्या- जीएसटी/2017-18/०५

/वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०  
(जीएसटी अनुभाग)  
लखनऊ: दिनांक: ०६ नवम्बर, 2017

:आदेश:

विषय:- उ०प्र० माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 120क के अंतर्गत प्रारूप  
जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विस्तार।

उ० प्र० माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 120क सपठित उ०प्र० माल  
और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं  
आयुक्त, एतद्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, प्रारूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा  
प्रस्तुत करने की अवधि को दिनांक 30 नवम्बर 2017 तक बढ़ाता हूँ।

  
(मुकेश कुमार मेश्राम)  
आयुक्त राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ।